झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

आवश्यक सूचना

दिनांक–06.02.2024

झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 (JGGLCCE-2023) अन्तर्गत दिनांक 28.01.2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के पश्चात् आयोग की परीक्षा व्यवस्था के संबंध में कई भ्रांन्तियॉ एवं अफवाह फैल रहे हैं, जिनके निराकरण हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है।

2. झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा करीब दस वर्षों के बाद पहली बार आयोजित की जा रही थी। उक्त परीक्षा में लगभग 6,40,000 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे। अभ्यर्थियों की अत्यधिक एवं अतिविशाल संख्या के कारण परीक्षा–केन्द्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों के अलावा कुछ अनुमण्डलों में भी निर्धारित किये गये थे, क्योंकि जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता (**seating capacity**) उपलब्ध नहीं थी, हालॉकि सामान्यतया यह प्रयास किया जाता है कि जिला मुख्यालयों से बाहर अनुमण्डलों में परीक्षा–केन्द्र नहीं रखे जाऍ। झारखण्ड राज्य में कुल 735 परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गयी थी। आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का सम्पादन अभी तक नहीं किया गया था, और यह पहली बार किया जा रहा था। संबंधित परीक्षा का शान्तिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पादन बहुत बड़ी चुनौती थी।

3. उपरोक्त परीक्षा के सफल सम्पादन हेतु राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में संबंधित जिला के उपायुक्त को परीक्षा आयोजन के निमित्त उस जिला का समन्वयक (Coordinator) नामित किया गया था। उक्त परीक्षा के शान्तिपूर्ण एवं कदाचार–रहित संचालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के सक्रिय, निकट एवं व्यक्तिगत नियंत्रण में उक्त परीक्षा का संचालन कराये जाने की व्यवस्था कराई गई थी।

4. उक्त परीक्षा हेतु गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की Chain of Custody, Transfer of Custody, एवं परीक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में झारखण्ड के सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के अनुरोध पर झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये थे।

5. आयोग के तत्वावधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षाफल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाऍ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है। किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करने हेतु दिया जायेगा, ऐसे किसी भी बिन्दु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदधारी को नहीं होती है।

6. ओ०एम०आर० आधारित ऑफलाईन (पेपर–मोड) प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का चयन तथा प्रश्न–पत्र बनाये जाने एवं उनके मुद्रण, तथा प्रश्न–पत्रों के जिला–वार, परीक्षा–केन्द्र–वार, एवं परीक्षा–कक्ष–वार पैकिंग एवं सीलबंदीकरण की कार्रवाई, चयनित आउटर्सोसिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। तदोपरान्त सभी परीक्षा–सामग्रियॉ आउटर्सोसिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा की निर्धारित तिथि से पॉच या छः दिन पूर्व सीलबंद अवस्था में रॉची जिला कोषागार में सीधे (यानि आयोग में लाकर नहीं) जमा कराई जाती है। इस प्रकार गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की **Chain of Custody** में सबसे लम्बी अवधि तक, करीब एक से कुछ महीनों तक, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तद्नुसार बनाये गये (**formulated, composed**) तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न–पत्रों, की **Custody** उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास ही रहती है।

7. आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तद्नुसार बनाये गये (formulated, composed) तथा मुद्रित कराये गये प्रश्न–पत्रों एवं अन्य गोपनीय परीक्षा–सामग्रियों के जिला–वार, परीक्षा–केन्द्र–वार, एवं परीक्षा–कक्ष–वार सीलबंद किये गये पैकेटों के सीधे रॉची कोषागार में जमा कराये जाने के बाद उनकी Chain of Custody निम्नानुसार है :–

(क) दिनांक–28.01.2024 को सम्पादित होने वाली परीक्षा हेतु सभी जिलों के लिए परीक्षा–सामग्रियॉ रॉची जिला कोषागार में सुरक्षित रखने एवं जिला–वार वितरण करने हेतु आउटर्सोसिंग एजेंसी द्वारा दिनांक–22.01.2024 एवं 23.01.2024 को सीलबन्द अवस्था में रॉची कोषागार को उपलब्ध करायी गई।

(ख) परीक्षा के संचालन हेतु दिनांक–23.01.2024 एवं 24.01.2024 को उपरोक्त परीक्षा सामग्रियॉ सभी जिलों के प्राधिकृत दण्डाधिकारियों को सीलबन्द अवस्था में वितरित कर दी गई।

(ग) प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा गोपनीय परीक्षा–सामग्रियॉ (प्रश्न–पत्र एवं उत्तर–पृष्ठ) परीक्षा तिथि को परीक्षा से दो घंटे पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्रों को सीलबन्द अवस्था में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था आदेशित है।

(घ) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व गोपनीय परीक्षा–सामग्रियों को केन्द्राधीक्षक, दण्डाधिकारी, एवं अभ्यर्थियों के समक्ष सील खोलकर परीक्षा के लिए वितरण करने की व्यवस्था आदेशित है।

8. गोपनीय परीक्षा–सामग्रियों की उपरोक्त **Chain of Custody** तथा **Transfer of Custody** के लिए उपरोक्त निर्देशित **Timelines**, इन दोनों प्रक्रियाओं में गोपनीय परीक्षा–सामग्रियों की **Custody** अथवा प्रश्नों की जानकारी किसी भी समय आयोग के पास अथवा आयोग के किसी भी पदधारी या पदाधिकारी या कर्मी के पास कभी भी नहीं रहती है।

9. गोपनीय परीक्षा–सामग्रियों की उपरोक्त Chain of Custody, तथा Transfer of Custody के लिए उपरोक्त निर्देशित Timelines, इन दोनों का अनुपालन कड़ाई से किया गया या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षा के जिला समन्वयकों (जिला उपायुक्तों) से निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगे गए हैं :–

(क) संबंधित जिला के Nodal Officer द्वारा उक्त परीक्षा के लिए सीलबंद गोपनीय परीक्षा–सामग्रियॉ रॉची जिला कोषागार से किस तिथि को किस समय प्राप्त किये गये, और अपने जिला के कोषागार में किस तिथि को किस समय जमा कराये गये।

(ख) किस Patrolling Magistrate द्वारा अपने अधिनस्थ परीक्षा केन्द्रों के लिए अपने जिला के कोषागार से सीलबंद गोपनीय परीक्षा–सामग्रियॉ किस तिथि को किस समय प्राप्त किये गये, और अपने अधीनस्थ परीक्षा–केन्द्रों के संबंधित Static Magistrates एवं Centre Superintendents को किस तिथि को किस समय hand-over किये गये।

(ग) किस Static Magistrate एवं Centre Superintendent द्वारा परीक्षा की किस पाली (sitting) की गोपनीय परीक्षा–सामग्रियॉ किस Invigilator को किस तिथि को किस समय hand-over किये गये।

10. **JGGLCCE-2023** परीक्षा के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन एवं कार्यादेश दिये जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से माह जून, 2023 में ही पूर्ण कर ली गई थी। आयोग के वर्त्तमान अध्यक्ष ने दिनांक–27.09.2023 को योगदान किया है। माह अक्टूबर, 2023 के बाद उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरूद्ध आयोग द्वारा कई कठोर निर्णय लिये गये हैं।

11. (क) **JGGLCCE-2023** परीक्षा अन्तर्गत दिनांक–28.01.2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के संबंध में नामकूम थाना काण्ड संख्या–45/2024, दिनांक–29.01.2024 अन्तर्गत धारा 467/ 468/ 420/ 120 (B) भारतीय दण्ड विधान, 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं 12 झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 (छायाप्रति संलग्न) दर्ज एवं अनुसंधान अन्तर्गत है, और दोषी व्यक्तियों को कठोरतम दण्ड दिलाने का अनुरोध संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से किया गया है।

(ख) सक्षम प्राधिकार से अनुरोध किया गया है कि त्वरित एवं कारगर अनुसंधान कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उच्च स्तरीय **Special Investigation Team (SIT)** का गठन किया जाय।

12. **JGGLCCE-2023** परीक्षा अन्तर्गत दिनांक–28.01.2024 को आयोजित तीन पालियों की परीक्षा को रद्द किया गया है, और दिनांक–04.02.2024 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित किया गया है, जिससे कि किसी अभ्यर्थी अथवा उनके किसी अपराधसंगी (**accomplice**) को कोई नाजायज लाभ नहीं मिले।

ह०/
परीक्षा नियंत्रक